राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

कमांक:–एफ.3(ए)(37)शिक्षा/सीटीएडी/14–15/18863-88 दिनांक 8.5.15

परिपत्र

विभाग द्वारा जनजाति छात्र/छात्राओ हेतु निम्नानुसार योजनाएँ संचालित की जा रही है। प्रायः देखा जाता है कि योजनाओं के बारे मे पूर्ण जानकारी नही होने से पात्र छात्र/छात्राएँ भी इन योजनाओं का लाभ नही उठा पाते है। जो आवेदक योजनाओं में आवेदन करते है तो उक्त योजनाओं के अन्तर्गत जनजाति छात्र/छात्राओं को सहायता राशि का भुगतान समय पर नही हो पाता है। जिससे योजनान्तर्गत दी जा रही सहायता से छात्र/छात्राओं को लाभ भी समय पर नही मिल पा रहा है। छात्र/छात्राओं को राशि का भुगतान सत्र के अन्त में करने में आ रही समस्या को देखते हुए योजनाओं के समय पर भुगतान हेतु निम्नानुसार योजनाओं के प्रावधानों का विवरण एवं कलैण्डर निर्धारित किया जाकर भुगतान किये जाने के दिशा निर्देश जारी किये जाते है :–

1. जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा सहायता राशि – जनजाति छात्राएं जो महाविद्यालय में अध्ययनरत है उन्हें उच्च शिक्षा हेतु 500/– प्रतिमाह के हिसाब से 10 माह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का लाभ जनजाति की उन छात्राओं को प्राप्त है जो निजी एवं राजकीय कॉलेज में अध्ययनरत हो, राजस्थान के मूल निवासी हो तथा जिनके माता–पिता आयकरदाता नही है उन्हें यह सुविधा देय है।

2. छात्रगृह किराया योजना – योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/ छात्रा को संभाग मुख्यालय 500/–, जिला मुख्यालय 400/– एवं शेष स्थानों के लिए 300/– रूपये प्रतिमाह की दर से 10 माह तक देय है।जनजाति छात्र/छात्राएं जो राजकीय महाविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकोतर कक्षाओं में पढते हैं एवं छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन करते हैं उन छात्र/छात्राएं को यह सुविधा देय है। छात्र/छात्राएं राजस्थान की मूल निवासी हो। जिन छात्र/छात्राओं के माता पिता आयकरदाता है उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

3. बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता – बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में जो छात्र प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करते है 350/– प्रतिमाह की दर से 10 माह तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जावेगा। जनजाति छात्र जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की हो अथवा कॉलेज में सामान्य शिक्षा में ग्रेज्यूऐशन (प्रथम श्रेणी) में उत्तीर्ण की हो तथा अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो इसके लिये पात्र होंगे ।

4. जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता – जनजाति छात्राऐ जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत हो उन्हें उच्च शिक्षा हेतु 350/– प्रतिमाह के हिसाब से 10 माह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।ऐसी जनजाति छात्राऐं जो उच्च माध्यमिक कक्षाओं (11वीं एवं 12वीं) में नियमित रूप से राजकीय विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।

सामान्य दिशा निर्देश (उक्त सभी योजनाओं हेतु) :–

1. समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही उत्तर मेट्रिक छात्रवृति एवं विभागीय योजनान्तर्गत जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता योजना एवं छात्रगृह किराया योजना का साथ–साथ लाभ लिया जा सकता है।

2. गत वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि देय नही होगी।

3. जिन छात्राओं ने श्रेणी सुधार हेतु उसी कक्षा में प्रवेश लिया हो, को भी प्रोत्साहन राशि देय नही होगी।

4. सत्र के मध्य विद्यालय / महाविद्यालय छोडकर जाने वाली छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नही किया जायेगा।

5. प्रोत्साहन राशि दिये जाने के सम्बन्ध में योजना का विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in देखी जा सकती है।

योजनाओं के संचालन हेतु सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले कार्य :-

1. योजना के प्रचार प्रसार के लिए परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व सहरिया विकास /मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्मुचित प्रयास करेगे।

2. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व सहरिया विकास/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने जिले के विद्यालयों/महाविद्यालयों के नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित कर विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी तथा उन योजनाओं के समयबद्व कैलेण्डर के बारे में अवगत करायेगे।

जनजाति विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक उत्प्रेरक योजनाओं का वार्षिक कैलण्डर

	विवरण	निर्धारित दिनांक
1	आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालय में प्रवेश प्रकिया पूर्ण करने की दिनांक	15 जून – 30 जून
2	नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित कर विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी तथा उन योजनाओं के समयबद्व कैलेण्डर के बारे में अवगत कराना	1 से 10 जुलाई
3	विद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक उत्प्रेरक योजनाओं के आवेदन पत्र आंमत्रित करने की दिनांक	31 जुलाई
4	विद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में परियोजना कार्यलियों को सूचना भेजने की दिनांक	31 अगस्त
5	परियोजना कार्यालयों के स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्र मय निर्धारित प्रपत्र की संमीक्षा दिनांक	10 सितम्बर
6	परियोजना कार्यालायों द्वारा ट्रेजरी में शैक्षणिक उत्प्रेरक योजनाओं के बिल भेजने की दिनांक	20 सितम्बर
7	परियोजना कार्यालयों द्वारा छात्र/छात्राओं के खाते में शैक्षणिक उत्प्रेरक योजनाओं की राशि हस्तान्तरण करने की दिनांक	30 सितम्बर

3. सम्बन्धित, परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व सहरिया विकास /मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयों को प्रोत्साहन राशि का बजट माह अप्रेल तक आंवटित कर दिया जावेगा।

4. प्रतिवर्ष विद्यालयों के प्रार्चायों एवं महाविद्यालयों के अधिष्ठाता अपने यहा अध्ययनरत जनजाति छात्र/छात्राओं की सूची निम्न प्रारूप में सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी एवं प परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व सहरिया विकास /मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निम्न प्रारूप में माह अगस्त तक उपलब्ध करायेगे।

क स	नाम विद्यालय/ महाविद्यालय	छात्र का नाम मय पिता का नाम	श्रेणी	घर का पता	गृह जिला	कक्षा	प्रोत्साहन राशि	बैक का नाम मय पता	खाता संख्या

5. जनजाति छात्र/छात्राओं को समय पर भुगतान होवे इस सम्बन्ध में छात्र/छात्रा के बैक खाते की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो कोपी भी आवेदन पत्र के साथ प्राप्त की जावे।

6. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व सहरिया विकास /मुख्य कार्यकारी अधिकारी से प्राप्त सूचियों की जॉच सितम्बर माह की दिनांक 10 तक कर स्वीकृतियां जारी करेगे।

7. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व सहरिया विकास /मुख्य कार्यकारी अधिकारी **कार्यालय द्वारा स्वीकृति के आधार पर राशि का भुगतान प्रतिवर्ष माह सितम्बर तक सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के बैक खातें में जमा कराया जायेगा।**

8. योजनाओं की राशि का भुगतान किसी भी परिस्थिति में महाविद्यालय/विद्यालय के खाते में जमा नही कराया जावे।

9. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व सहरिया विकास /मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने जिले में अध्यनरत विद्यालय/महाविद्यालय छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान उनके खाते में जमा होने की रिपोर्ट अक्टुबर माह की दिनांक 7 तक आयुक्त टीएडी, कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

(भवानी सिंह देथा)
आयुक्त

क्रमांक – एफ 3(ए)( )शिक्षा/सीटीएडी/प्र.ति.वि./14–15/13863-88 दिनांक 8.5.15

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, ...।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ...।
6. अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास, शाहबाद (बांरा)
7. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,उदयपुर/डूंगरपुर/बांसवाडा/प्रतापगढ़/आबूरोड।
8. निजी सचिव, आयुक्त महोदय।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त प्रथम एवं द्वितीय।
10. प्रकोष्ठाधिकारी .....।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक– एफ 5(प)एसीटीएडी/माडा/शिक्षा/2014–15/10478-82 दिनांक : 29/4/15

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर/बांसवाडा/डूंगरपुर/प्रतापगढ आबूरोड

विषय– जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता एवं पोस्ट मेट्रिक स्कोलरशिप दिये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ– दिनांक 17.04.15 को आयोजित वीडियों कोन्फ्रेसिंग में दिये गये निर्देशों के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में दिनांक 17.04.15 को आयोजित वीडियों कोन्फ्रेसिंग में दिये गये निर्देशों की पालना में लेख है कि, जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा केवल आर्थिक सहायता दी जा रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा देय उत्तर मेट्रिक छात्रवृति की गाईड लाईन में स्पष्ट अंकित है कि "The student can however, accept free lodging or a grant or adhoc monetary help from the State Government or any other source for the purchase of books, equipment or for meeting the expenses on board and lodging in addition to the scholarship amount paid under this scheme."

अतः समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही उत्तर मेट्रिक छात्रवृति एवं विभागीय योजनान्तर्गत जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता योजना एवं छात्रगृह किराया योजना का साथ–साथ लाभ लिया जा सकता है । पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति एवं उच्च शिक्षा सहायता योजना दोनों योजनाओं की गाइडलाईन्स में इनमें से दूसरी योजना का लाभ लिया जाना वर्जित नही किया गया है।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 1(3)(9)/टीएडी/लेखा/95–96 दिनांक 29.07.04 की प्रति संलग्न की जा रही हैं। कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का श्रम करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(हर्ष सावनसुखा)
अतिरिक्त आयुक्त प्रथम
0/c

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल EPABX : 2428721–24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website :www.tad.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

उदयपुर

क्रमांक एफ 5(3)एसीटीएडी/माडा/बिखरी/99-2000/ दिनांक

प्राचार्य

राजकीय महाविधालय

टोक (राज.)

विषय- जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता एवं पोस्ट मेट्रिक स्कोलरशिप दिये जाने के संबंध मे ।

प्रसंग - उपशासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर का पत्रांक एफ 1(3)(9)टीएडी/लेखा/95-96 दि. 29.7.04

महोदय,

उपरोक्त उविषयान्तर्गत प्रासंगिक संलग्न पत्र अनुसार जनजाति की छात्राओ को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा केवल प्रोत्साहन राशि दी जाती है । इसका समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही पोस्ट मेट्रीक स्कोलरशिप से कोई सम्बन्ध नही है । यह राशि कन्याओ को उच्च शिक्षा अध्ययन की ओर आकर्षित करने हेत प्रोत्साहन राशि है जिससे अधिक से अधिक बालिकाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके ।

अतः पोस्ट मेट्रिक स्कोलरशिप एवं उच्च शिक्षा हेतु बालिकाओ को प्रोत्साहन राशि का साथ-साथ भुगतान किया जा सकता है । यह प्रोत्साहन राशि छात्रों को देय नही है ।

संलग्न- एक

भवदीय

अतिरिक्त आयुक्त,

क्रमाक-यथोपरि/ 24445-75 दिनांक 4-12-04

प्रतिलिपि- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ट) --------------- को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है ।

अतिरिक्त आयुक्त.

A:\l-scatt..doc

L2-6104.DOC

राजस्थान सरकार

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्रमांक एफ 1(3)(9)/टीएडी/लेखा/95–96 जयपुर,दिनांक 29-7-04

आयुक्त,

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,

उदयपुर ।

विषय– जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता एवं पोस्ट मेट्रिक स्कोलर शिप दिये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग– आपका पत्र क्रमांक एफ 3(ए)(23)शिक्षा/सीटीएडी/2003/9985 दिनांक 19.5.04

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा केवल प्रोत्साहन राशि दी जाती है इसका समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही पोस्टमेट्रिक स्कोलर शिप से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह राशि बालिकाओं को उच्च शिक्षा अध्ययन की ओर आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहन राशि है जिससे अधिक से अधिक बालिकाऐं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी ।

अतः पोस्ट मेट्रिक स्कोलर शिप एवं उच्च शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि का साथ साथ भुगतान किया जा सकता है ।

भवदीय

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:–

निदेशक, समाज कल्याण विभाग , राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

उप शासन सचिव

(xi) All children of the same parents/guardians will be entitled to receive benefits of the scheme.

(xii) A scholarship holder under this scheme will not hold any other scholarship/stipend. If awarded any other scholarship/stipend, the student can exercise his/her option for either of the two scholarships/stipends, whichever is more beneficial to him/her and should inform the awarding authority through the Head of the Institution about the option made. No scholarship will be paid to the students under this scheme from the date he/she accepts another scholarship/stipend. The student can however, accept free lodging or a grant or adhoc monetary help from the State Government or any other source for the purchase of books, equipment or for meeting the expenses on board and lodging in addition to the scholarship amount paid under this scheme.

(xiii) Students who have already received coaching in any of the pre-examination training centres with financial assistance from the Government will not be eligible.

NOTE 1 : Since it is clearly mentioned under the item III (condition of eligibility) of these regulations that the scholarship will be given for the study of all recognised post-matriculation or post-secondary courses pursued in recognised institutions, the list of courses grouped *(I to IV)* is, thus, only illustrative and not exhaustive. The State Governments/Union Territory Administrations are, thus, themselves competent to decide the appropriate grouping of courses at their level as advised vide Ministry of SJ & E's letter No.11017/13/88-Sch.Cell, dated 3.8.1989.

IV. MEANS TEST

Scholarships will be paid to the students whose parents/guardians' income from all sources does not exceed ***Rs. 2,00,000/- (Rs. two lakh only)*** **per annum**.

NOTE 1: So long as either of the parents (or husband in the case of married unemployed girl student) is alive, only income of the parents/husband, as the case may be, from all sources has to be taken into account and of no other member even